HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 8147/2025

Girraj Sharma S/o Shri Bhagwan Sahai, Age 47, Resident of Village Tholai, Tehsil Jamwaramgarh, District Jaipur. Another Address Near Petrol Pump Village Saipura, Tesil Jamwaramgarh, Jaipur

----Petitioner/Accused

Versus

1. The State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

2. Ramprasad Malhotra S/o Shri Lalaram, Resident of Village Tholai, Tehsil Jamwaramgarh, Jaipur

----Respondent/Complainant

For Petitioner(s)	:	Mr. P.S. Tomar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, Addl. GA With Mr. Gaurav Gupta, Asst. GA
For Complainant(s)	:	None

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

26/02/2026

1. याची–अभियुक्त की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,** विद्वान विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़, जिला–जयपुर द्वारा मुकदमा नम्बर– **681/2017(207/2016)** में पारित आलौच्य आदेश दिनांक **22–08–2025**, जिसके माध्यम से याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा **353 बीएनएसएस** (315 दंड प्रक्रिया संहिता) अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त का कथन है कि प्रस्तुत मामले में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29–01–2024 को याची की साक्ष्य

सफाई बन्द की गई थी, उसे खुलवाने हेतु याची–अभियुक्त द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 353 बीएनएसएस (315 दंड प्रक्रिया संहिता) का प्रस्तुत करने पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसे दिनांक 22–08–2025 को अस्वीकर कर खारिज कर दिया गया, उनका कथन है कि प्रकरण में याची–अभियुक्त को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिए जाने से प्रकरण का प्रभावी एवं न्यायोचित तरीके से निस्तारण नहीं हो पाएगा, उनका कथन है कि प्रकरण में ना तो आज दिनांक तक बहस अंतिम सुनी गई है और ना ही पत्रावली आदेश में निहित है, वे न्यायालय द्वारा अधिरोपित कोस्ट राशि जमा कराने को तैयार हैं, अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 22–08–2025 को अपास्त करते हुए याची–अभियुक्त को न्यायहित में साक्ष्य सफाई पेश करने हेतु हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया जावे।

3. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए उसे अस्वीकार करने का निवेदन किया।

4. मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।

5. हस्तगत प्रकरण में यद्यपि याची–अभियुक्त द्वारा जो कारण बताये गये हैं, वे पूर्णतया उचित नहीं है, किन्तु न्यायहित में एवं न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु याची–अभियुक्त को कोस्ट पर साक्ष्य सफाई पेश करने हेतु एक **अंतिम अवसर** दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. परिणामतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को दृष्टिगत रखते हुए उक्त याचिका 10,000/– रूपये कोस्ट राशि विचारण न्यायालय में जमा कराए जाने की शर्त पर **स्वीकार** की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक **22–08–2025** अपास्त किया जाकर याची–अभियुक्त को यदि बहस अंतिम नहीं सुनी गई हो तो, साक्ष्य सफाई पेश करने हेतु एक **अंतिम अवसर** दिये जाने का आदेश दिया जाता है, उपरोक्त कोस्ट राशि में से **5,000/–** रूपये संबंधित

न्याय क्षेत्र के विधिक सहायता कोष के समक्ष जमा कराते हुए रसीद विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी एवं शेष **5,000/–** रूपये की राशि का डी.डी. परिवादी के नाम बनाकर आज से 10 दिवस के अंदर विद्वान विचारण न्यायालय में जमा कराना होगा, तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा याची–अभियुक्त को साक्ष्य सफाई पेश करने हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया जावे एवं उपरोक्त डी.डी. को अयाची–परिवादी को भुगतान हेतु सुपुर्द किया जावे।

7. उक्त कोस्ट, साक्ष्य सफाई पेश करने हेतु तथा इस याचिका के स्वीकार करने हेतु पूर्ववर्ती शर्त होगी।

8. उपरोक्त परिसीमा अवधि में कोस्ट राशि जमा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

9. उपरोक्तानुसार याचिका स्वीकार कर निस्तारित की जाती है।

10. प्रकरण से संबंधित यदि कोई अन्य प्रार्थना पत्र लंबित हों, तो वे भी निस्तारित किए जाते हैं।

(BHUWAN GOYAL),J

RAHUL KUMAR KHANDELWAL /32